कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2965 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 15 ,2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः– साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित एवं 8.7003 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात 3.3532 हे0 संरक्षित एवं 12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1888/11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांक 13.01.2025 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक–4147/33–1, दिनांक 27.03.2025

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त कन्नौज वन प्रभाग एवं कानपुरनगर वन प्रभाग के स्तर पर पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

कन्नौज वन प्रभागः–

1. ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में मंहगाई दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः सही महंगाई दर के अनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें।
2. सी0ए0 समेकित रूप से सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है। उक्त सूचना उन्नाव वन प्रभाग द्वारा भरी जानी है। अतः क्रमांक–13(i),(ii),(iii),(iv) एवं (v) में अपलोड अभिलेख व डाटा डिलीट करें।
3. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।

कानपुरनगर वन प्रभागः–

1. ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में मंहगाई दर, मजदूरी दर गलत है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें एवं Additiondal Information Detail से त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलीट करें।
2. ऑनलाइन अपलोड किये गये एन0पी0वी0 की गणना में दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः इसे डिलीट कर सही दर के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें एवं त्रुटिपूर्ण गणना डिलीट करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति हिन्दी भाग–2 में जिला प्रोफाइल में विवरण भरा नहीं गया है।
4. Additional Inforamtion Detail के क्रमांक–1, 11, 12, 15, 18, 20 एवं 21 में अपलोड अभिलेखों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
5. ऑनलाइन अपलोड किये गये पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।
6. ऑनलाइन अपलोड किये गये ई0डी0एस0 उत्तर में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट करें।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2965 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज एवं मैनपुरी।
4. महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस–116, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।